बिहार सरकार
<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 5746873 पटना, दिनांक 03/02/2026
ग्रा0वि0-6-बजट/05-01/2025

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषय: - **वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-42 के तहत सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत संशोधित कुल बजट उपबंधित राशि रू0 12500.00 लाख (एक अरब पचीस करोड़) में से पूर्व में आवंटित राशि रू0 9000.00 लाख (नब्बे करोड़) के अतिरिक्त राशि रू0 3500.00 लाख (पैंतीस करोड़) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश:- स्वीकृत ।

2. सतत् जीविकोपार्जन योजना का मुख्य उद्देश्य, देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं ब्रिकी में पारंपरिक रूप से जुड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को सतत् आजीविका, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना है । इस निमित्त ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प ज्ञापांक-372432 दिनांक-31.05.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से इस योजना को राज्य के सभी 534 प्रखंडों में आगामी तीन वर्षों के लिए लागू किया गया । विभागीय संकल्प 551603 दिनांक-03.09.2021 द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना की कार्य अवधि को तीन वर्षो, वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक विस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। पुन: विभागीय संकल्प सं0-2265379 दिनांक-09.11.2023 द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक विस्तारित करने एवं विस्तारित अवधि में योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुमानित व्यय रू0 3032.00 करोड़ (तीस अरब बत्तीस करोड) तथा योजनान्तर्गत लक्षित परिवारों को एकीकृत परिसम्पत्ति के सृजन हेतु प्रति परिवार निवेश की अधिकतम सीमा को 1 (एक) लाख रूपये से बढ़ाकर 2 (दो) लाख रूपये करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

3. मांग संख्या-42 के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में सतत् जीविकोपार्जन योजना के लिए कुल राशि रू0 12500.00 लाख (एक अरब पचीस करोड़) का संशोधित बजट उपबंध है। वित्त विभाग के पत्रांक-235 दिनांक-01.04.2025 द्वारा वित्त विभागीय पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 में निहित तृतीय चौमाही (1 दिसम्बर से 31 मार्च) बंधेज की शर्तो को राज्य स्कीम में बजट में प्रावधानित कुल राशि का शत्-प्रतिशत तक आवंटन किया जाना है।

4. पूर्व में सतत् जीविकोपार्जन योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित विभागीय आवंटनादेश संख्या एवं दिनांक द्वारा जीविका को राशि आवंटित की गई:-

(राशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	आवंटनादेश संख्या / दिनांक	राशि
1	4144131/ 29.05.2025	3300.00
2	4674684/ 05.10.2025	5700.00
	कुल	9000.00 (नब्बे करोड़)

उक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में सतत जीविकोपार्जन योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रू0 3500.00 लाख (पैंतीस करोड़) का आवंटन किया जाना है।

5. उक्त के आलोक में सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत संशोधित कुल बजट उपबंधित राशि रू0 12500.00 लाख (एक अरब पचीस करोड़) में से पूर्व में आवंटित राशि रू0 9000.00 लाख (नब्बे करोड़) के अतिरिक्त राशि रू0 3500.00 लाख (पैंतीस करोड़) की निम्नवत् विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मद एवं विपत्र कोड़ (विषय शीर्ष सहित)	प्रथम अनुपूरक आगणन के उपरान्त संशोधित बजट उपबंधित राशि	द्वितीय चौमाही (01 अगस्त से 30 नवम्बर) में आवंटित राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	मुख्य शीर्ष-2515 -अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष- 102, सामुदायिक विकास, उप शीर्ष- 0119 सतत् जीविकोपार्जन योजना विपत्र कोड 42- 2515001020119,31 06 सहायक अनुदान गैर वेतन (सामुदायिक विकास मद)	12500.00	9000.00	3500.00
	कुल-	12500.00 (एक अरब पचीस करोड़)	9000.00 (नब्बे करोड)	3500.00 (पैंतीस करोड़)

6. वित्तीय वर्ष 2025-26 में सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत कुल स्वीकृत राशि रू0 3500.00 लाख (पैंतीस करोड़) की निकासी विभागीय मांग संख्या-42 के तहत मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष- 00, लघुशीर्ष- 102, सामुदायिक विकास, उप शीर्ष- 0119 सतत् जीविकोपार्जन योजना विपत्र कोड 42- 2515001020119,31 06 सहायक अनुदान गैर वेतन (सामुदायिक विकास मद) के अन्तर्गत विकलनीय है ।

7. अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन पटना से की जाएगी। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी कर Bihar Rural Livelihoods Promotion Society, BRLPS-SJY, Indian Bank, Account No.-6719021284, IFSC Code-IDIB000N087, Vidhyut Bhawan, Bailey Road, Patna, Bihar में जमा कर देगे । मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बी0आर0एल0पी0एस0 इस राशि

का व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग, बिहार/महालेखाकार, बिहार एवं इस विभाग को उपलब्ध कराऐंगे ।

8. योजना का क्रियान्वयन/निरीक्षण एवं अनुश्रवण मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बी.आर.एल.पी.एस. द्वारा की जायेगी तथा इसका वैधानिक अंकेक्षण ससमय महालेखाकार, बिहार से कराना सुनिश्चित किया जायेगा ।

9. वित्त विभाग के पत्र सं0-7355 वि.(टि.) दिनांक-05.10.07 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

10. वित्त विभाग के प्ररिपत्र संख्या 2561 दिनांक-17.04.1998 में निहित निदेश के आलोक में राशि व्यय की जायेगी ।

11. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- ग्रा0वि0-6-बजट/05-01/2025 के टिप्पणी पृष्ठ सं0--23--/टि0 पर दिनांक--22/01/2026-- को प्राप्त है ।

12. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं देय सहायक अनुदान विमुक्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकार (प्रशासी विभाग) का अनुमोदन संचिका सं0- ग्रा0वि0-6-बजट/05-01/2025 के टिप्पणी पृष्ठ सं0--23--/टि0 पर दिनांक--02/02/2026-- को प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 3/2/26

(रवि कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 5/468923 पटना, दिनांक 03/02/2026

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना/ विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10)/ सांख्यिकी प्रकोष्ठ/ प्रशाखा-6/ लेखा शाखा/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 3/2/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 5/468923 पटना, दिनांक 03/02/2026

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 3/2/26

सरकार के संयुक्त सचिव